

30/5/25

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~चेट प्रेस~~ में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

+

mm/1/1/25

S. S. S. S.

30/5/25